न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 148 सन 2019

अनवान :–

1. कुतबदीन पुत्र फजलदीनह जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. हारून अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5 नरोतम पुत्र महेन्द्र जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सायलान स्वय
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15.1.2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 20/9 के खसरा न0 93/2 की 3.1980हैक भूमि दावा में दर्ज वादीगण संख्या 1 , 2 का 0.0207हैक एवं दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 का 0.0046हैक भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 0.03439हैक प्रतिवादी संख्या 3 का 0.0198हैक प्रतिवादी संख्या 4 का 0.198हैक प्रतिवादी संख्या 5 का 0.0927हैक , प्रतिवादी संख्या 6 का 0.0261हैक एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 0. 03415हैक प्रतिवादी संख्या 8 का 0.0104हैक एवं सायल न0 1 की 0.6130हैक प्रतिवादी संख्या 10 का 0.0334हैक एवं सायल न0 2 हारून का 0.7208हैक भूमि , प्रतिवादी संख्या 12 महावीर का 0.50580हैक एवं गैरसायल न0 1 सुरेश का 0.27102हैक एवं प्रतिवादी संख्या 14 रामदुलारी का 0.0910हैक प्रतिवादी संख्या 15 वाचस्पति का 0.322हैक एवं दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 किशनलाल, कमल कुमार , रामरतन बहिब 0.07524हैक प्रतिवादी संख्या 19 बनवारीलाल का 0.0257हैक , प्रतिवादी संख्या 20 बिजयकुमारी का 0.01573हैक , प्रतिवादी संख्या 21 मूर्मिदेवी का 0.01573हैक प्रतिवादी संख्या 22 रमेश कुमार का 0.045हैक प्रतिवादी संख्या 23 पवनकुमार का 0.0138हैक प्रतिवादी संख्या 24 इन्द्रपाल का 0.027हैक प्रतिवादी संख्या 25 ओमप्रकाश का 0.02829हैक प्रतिवादी संख्या 26 हरदत का 0.00743हैक प्रतिवादी संख्या 27 शारदा का 0.043हैक प्रतिवादी संख्या 28 कमलेश का 0.038हैक प्रतिवादी संख्या 29 सुलतान का 0.01242हैक प्रतिवादी संख्या 30 0.2926हैक के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तकरका तौर से है तथा कस्बा नोहर के नजदीक लगती भूमि है जिसमें किमते बढने के काश्त लगान सम्बधी तनाजा रहता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने के अधिकारी है दिनांक 24.09.2019 को गैरसायल ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर अकेले ने अपना खाता अलग विधि विरूद्व तरीके से अलग करवाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 93/2 की 0.271हैक भूमि अलग करवा ली है जबकि गैरसायल की तरफ से कोई बाद प्रस्तुत नही था फिर भी खाता व लगान अलग करवा कर रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 93/2 की 0.271हैक भूमि बैय करने पर आमादा है यदि सायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा कस्बा नोहर के खसरा न0 93/2 की 0.271हैक भूमि को गेरसायल बैय नही करे एवं सायलान के कब्जा काश्त में दखल नही करने एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नही करने हेतु पाबन्द करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल 1 ,4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 20/9 के खसरा न0 92/2 की 3.1980हैक भूमि स्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का खाता संख्या 20/9 में खसरा न0 93/2 की 0.271हैक सहखातेदारी से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है अप्रार्थी संख्या 1 ने खाता अलग होने पर अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये बेयनामा भूमि बेय कर दी एवं खरीददार खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज है एवं बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है तथा उतरदाता ने अपने हक हिस्सा की भूमि की चार दीवारी निर्मित है सायलान केवल उत्तरदाता की भूमि हडप करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उत्तरदाता का खाता विभाजन विधि अनुसार न्यायालय के आदेश से हुआ है एवं माननीय न्यायालय में दावा भवराराम की और से पेश किया गया है सायलान ने खाता तकसीम का दावा पेश नही किया है।

सायलान ने जरिये इकरारनामा के आधार पर अपने नाम से दर्ज भूमि का बेचान कर चुके है केवल मात्र जमाबन्दी में नाम अंकन है जबकि सायलान वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है तथा सायलान की मौका पर कोई भूमि नही है ना ही समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया है।

सायलान ने न्यायालय में कोई दावा पेश नही किया गया है एवं अर्जीदावा भवराराम के द्वारा पेश किया गया है प्रार्थीगण को अर्जीदावा में सुनवाई हेतु कभी भी न्यायालय में नही आये उतरादाता के बेयनामा करवाने के कारण लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है सायलान को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र से सम्बधित वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तकरका तौर से है तथा कस्बा नोहर के नजदीक लगती भूमि है जिसमें किमते बढने के काश्त लगान सम्बधी तनाजा रहता है इसलिये अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने के अधिकारी है दिनांक 24.09.2019 को गैरसायल ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर अकेले ने अपना खाता अलग विधि विरूद्व तरीके से अलग करवाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 93/2 की 0.271हैक

भूमि अलग करवा ली है जबकि गैरसायल की तरफ से कोई बाद प्रस्तुत नही था फिर भी खाता व लगान अलग करवा कर रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 93/2 की 0.271हैक भूमि बैय करने पर आमादा है यदि सायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा कस्बा नोहर के खसरा न0 93/2 की 0.271हैक भूमि को गेरसायल बैय नही करे एवं सायलान के कब्जा काश्त में दखल नही करने एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नही करने हेतु पाबन्द करे।

वकील गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 20/9 के खसरा न0 92/2 की 3.1980हैक भूमि स्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का खाता संख्या 20/9 में खसरा न0 93/2 की 0.271हैक सहखातेदारी से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है अप्रार्थी संख्या 1 ने खाता अलग होने पर अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये बेयनामा भूमि बेय कर दी एवं खरीददार खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज है एवं बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है तथा उतरदाता ने अपने हक हिस्सा की भूमि की चार दीवारी निर्मित है सायलान केवल उतरदाता की भूमि हडप करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उतरदाता का खाता विभाजन विधि अनुसार न्यायालय के आदेश से हुआ है एवं माननीय न्यायालय में दावा भवराराम की और से पेश किया गया है सायलान ने खाता तकसीम का दावा पेश नही किया है।

सायलान ने जरिये इकरारनामा के आधार पर अपने नाम से दर्ज भूमि का बेचान कर चुके है केवल मात्र जमाबन्दी में नाम अंकन है जबकि सायलान वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है तथा सायलान की मौका पर कोई भूमि नही है ना ही समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया है।

सायलान ने न्यायालय में कोई दावा पेश नही किया गया है एवं अर्जीदावा भवराराम के द्वारा पेश किया गया है प्रार्थीगण को अर्जीदावा में सुनवाई हेतु कभी भी न्यायालय में नही आये उतरादाता के बेयनामा करवाने के कारण लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है सायलान को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 20/9 के खसरा न0 92/2 की 3.1980हैक भूमि स्थित थी ,प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षमि का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 20/9 के खसरा न0 92/2 की 3.1980हैक भूमि स्थित थी अप्रार्थी संख्या 1 का खाता संख्या 20/9 में खसरा न0 93/2 की 0.271हैक सहखातेदारी से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है अप्रार्थी संख्या 1 ने खाता अलग होने पर अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये बेयनामा भूमि बेय कर दी एवं खरीददार खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज है एवं बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में होकर गैरसयल न0 1 ,4 के पक्ष में साबित होता है।

सायलान का कथन है कि विधिविरूद्व तरीके से खाता अलग करवाया गया है स्वीकार योग्य नही है वाद भूमि का खाता विभाजन न्यायालय के आदेशानुसार ही हुआ है तथा प्रार्थना पत्र से सम्बधित वाद सायलान के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है सायलान वाद में बतौर प्रतिवादी अंकित है।

जहॉ तक सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है सुरेश कुमार गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था जिसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल न0 4 को जरिये रजिस्टर बैयनामा के बेय किया गया था एवं गैरसायल न0 4 बैयनामा के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज है जिसे पाबन्द किये जाने से अपूर्णीय क्षति सायलान के बजाय गैरसायलान को होती है तथा रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नही है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 31.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है " व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official